न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / 108 / 2022

आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड, शाखा कुम्हेर गेट भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी, नवीन कुमार त्यागी,

....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1–श्रीमती संगीता चौधरी पत्नी श्री देशवीर सिंह, प्रोपराईटर मैसर्स हिमाद्री फूड बेवरेजीज एवं मैसर्स हिमाद्री इण्डस्ट्रीज, पंजीकृत पता– खसरा नं. 643 / 2 ग्रांम– बंशीद खुर्द, भरतपुर–321303,
फैक्ट्री पता– फौजी ढ़ाबा के पास, जाया विहार, एनएच.–11 भरतपुर
रिहायशी एवं पत्र व्यवहार का पता–156 राजेन्द्र नगर भरतपुर 321001
2–श्री देशवीर सिंह पता–156 राजेन्द्र नगर भरतपुर–321001

.....अप्रार्थी ऋणी

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

———

आदेश **दिनांक 28–6–2023**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 05.09.2017 को 1800000 / – दिनांक 15.6.2018 को 1200000 / – रुपये कुल 3000000 / – की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति खसरा नम्बर 643 / 2, ग्रांम बंशी खुर्द, जिसका क्षेत्रफल 1400 वर्गमीटर है जो कि श्रीमती संगीता चौधरी के नाम से है, जिसकी सीमाएं – पूर्व में खसरा नम्बर 642, पश्चिम में– रोड़, उत्तर में खसरा नम्बर 644 एवं 645 दक्षिण– खसरा न. 643 / 1 तहसील एवं जिला भरतपुर में स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 28–02–2019 एचं दिनांक 10–12–2019 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 28–2–2020 तक 1500342.50 / – एवं 1140802.50 / –रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है।

.....2

प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 30–5–2020 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 30–5–2020 को अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई हैं । बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने सम्पत्ति खसरा नम्बर 643/2, ग्रांम बंशी खुर्द, जिसका क्षेत्रफल 1400 वर्गमीटर है जो कि श्रीमती संगीता चौधरी के नाम से है, जिसकी सीमाएं – पूर्व में खसरा नम्बर 642, पश्चिम में– रोड़, उत्तर में खसरा नम्बर 644 एवं 645 दक्षिण– खसरा न. 643/1 तहसील एवं जिला भरतपुर में स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर